

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 20, मंगलवार, शाके 1947- नवम्बर 11, 2025 Kartika 20, Tuesday, Saka 1947- November 11, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवंबर 11, 2025

जी.एस.आर.68. -राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017** दिनांक 17.09.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितंबर 17, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित ऐसा किया जाना आवश्यक है कि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली परियोजना के अवार्ड और उक्त परियोजना के पूर्ण होने की तारीखों के बीच में अल्पावधि के कारण राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (राराविप्रनिलि) द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और तदधीन बनाये गये उपबंधों के अनुसार उपापन की प्रक्रिया साध्य नहीं है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के लागू किये जाने से राराविप्रनिलि द्वारा टीबीसीबी परियोजना के निष्पादन के लिए इसके द्वारा उपापन की छूट देती है कि,-

- (क) बोली आमंत्रित करने वाली सूचना (एनआईबी) राज्य लोक उपापन पोर्टल (एसपीपी पोर्टल) पर और साथ ही समाचारपत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी;
- (ख) बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा अभिप्राप्त की जा सकेगी;
- (ग) टीबीसीबी परियोजना के लिए अवार्ड के पश्चात्, बोली के परिणामस्वरूप तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन एसपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा;
- (घ) सफल बोली लगाने वाले के साथ करार का निष्पादन; और
- (ङ) असंतुलित बोली के मामले में संपादन प्रतिभूति और अतिरिक्त संपादन प्रतिभूति सफल बोली लगाने वाले से ली जायेगी।

[एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.